इकाई–VII

अध्याय–15

राज्य व्यवस्थापिका : संरचना एवं भूमिका
(STATE LEGISLATURE: COMPOSITION AND ROLE)

केन्द्र की भाँति प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मण्डल की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गयी है। भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मण्डल होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में प्रावधान रखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधान मण्डल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों से तथा कुछ में एक सदन से मिलकर बनेगा।

भारत में सभी राज्यों के विधानमण्डल एक जैसे नहीं है कुछ राज्यों में एक सदनीय विधान मण्डल हैं तो कुछ राज्यों में जैसे बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मूकश्मीर में द्वि–सदनीय विधान मण्डल हैं। जिन राज्यों में द्वि–सदनीय विधान मण्डल हैं वहाँ उसके उच्च सदन को विधान परिषद तथा निम्न सदन को विधान सभा कहते हैं एवं जिन राज्यों में एक सदनीय विधान मण्डल है वहाँ उसे विधान सभा कहा जाता है। एक सदनीय व्यवस्थापिका वाले राज्यों में विधानमण्डल के अन्तर्गत राज्यपाल व विधानसभा एवं द्वि–सदनीय व्यवस्थापिका वाले राज्यों में (i) राज्यपाल, (ii) विधान सभा (iii) विधान परिषद् राज्य विधान मण्डल के अंग हैं।

विधान सभा (Legislative Assembly)

विधान सभा जनता का प्रतिनिधी सदन होता है जो विधान मण्डल का प्रथम और लोकप्रिय सदन होता है।

संरचना व संगठन (Composition and Organisation)

संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 तथा अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं किन्तु मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश तथा गोआ राज्य की विधान सभाओं में केवल 40 और सिक्किम में केवल 32 सदस्य हैं। भौगोलिक आधार पर सभी निर्वाचन क्षेत्र इस आधार पर बनाये गये हैं कि जनसंख्या का अनुपात सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग समान रहे। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय है।

42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राज्य की विधान सभाओं में स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाए और सन् 2001 तक यही रखने का निर्णय लिया गया था। इस व्यवस्था को पुनः 2001 ई. के बाद भी जारी रखने का निर्णय किया है। अनुच्छेद 332 के अनुसार प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था उनकी जनसंख्या के आधार पर की गयी है जो कि 79वें संविधान संशोधन 1999 के अनुसार जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गयी है। अनुच्छेद 333 के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न होने पर राज्यपाल उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है।

राजस्थान का विधान मण्डल एक सदनीय है। राजस्थान में विधान सभा की कुल सदस्य संख्या 200 है।

निर्वाचन–पद्धति (Method of Election)

विधान सभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय है। विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति एवं वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता हैं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। जाति, लिग, भाषा, धर्म, शिक्षा या सम्पत्ति के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

जम्मु–कश्मीर के कुल स्थान 100 हैं परन्तु शेष स्थान राज्य के उन क्षेत्रों के लिए छोड़े गये है जो अभी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में हैं।

सदस्यों की योग्यताएँ (Qualifications for the MLAs)

राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है :

(i) वह भारत का नागरिक हो।

(ii) वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(iii) वह वे सभी योग्यताएँ रखता हो जो संसद द्वारा समय–समय पर विधि द्वारा निर्धारित की जावे।

(iv) वह भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर विधमान न हो।

(v) वह विकृत मस्तिष्क, पागल या दिवालिया न हो।

(vi) 1988 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, में संशोधन करते हुये यह व्यवस्था की गयी आतंकवादी गतिविधि, मिलावट करने वाला (खाद्य पदार्थ व दवाओं में) तस्करी, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम एवं अपराधी व्यक्ति को इस अधिनियम के अनुसार चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जावेगा।

स्थानों की रिक्तता या सदस्यता का अन्त
(Vacant Seats or End of memberships)

(i) यदि कोई व्यक्ति राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों का सदस्य है तो एक सदन से त्याग पत्र देना पड़ता है।

(ii) यदि कोई व्यक्ति राज्य विधान सभा या संसद के किसी सदन का सदस्य है तो एक से त्याग पत्र देना पड़ता है।

(iii) विधान सभा का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना विधान मण्डल की बैठकों में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है।

(iv) सदन का सदस्य बनने के बाद यदि उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है।

(v) दल–बदल का दोषी सिद्ध होने पर भी सदस्यता समाप्ति का प्रावधान है।

कार्यकाल (Term)

(i) विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

(ii) विधान सभा एक अस्थायी सदन है। राज्यपाल निश्चित समय से पूर्व विधान सभा को भंग कर सकता हे।

(iii) आपातकाल की घोषणा के समय संसद विधि द्वारा विधान सभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। जो कि एक बार में एक वर्ष से ज्यादा कानहीं होता है। आपात काल समाप्त होने के पश्चात् इसका बढ़ा हुआ काल अधिक से अधिक 6 माह तक रह सकता हे।

अधिवेशन (Session)

विधान सभा का सत्र (अधिवेशन) राज्यपाल द्वारा आहूत किया जाता है, उसी के द्वारा विघटन व सत्रावसान किया जाता है। विधान सभा का अधिवेशन एक वर्ष में दो बार बुलाना अनिवार्य है और दोनों के मध्य अन्तराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। नवनिर्वाचित विधान सभा के प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर राज्यपाल राज्य की विधान सभा को सम्बोधित करता है।

विधान सभा के पदाधिकारी (Presiding Officers of the Vidhan Sabha)

विधान सभा के दो मुख्य पदाधिकारी होते हैं :–

(i) अध्यक्ष (Speaker) और (ii) उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)

अध्यक्ष (Speaker)

इसका चुनाव विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों में से किया जाता है। इसके बाद विधान सभा सदस्य अपने में से एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या उसके पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसके कार्यों को करता है। दोनों का ही कार्यकाल 5 वर्ष अथवा विधान सभा के कार्यकाल तक होता है। त्याग पत्र द्वारा भी पद रिक्त हो जाता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है। इन दोनों को विधान सभा के सदस्य अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर पद से हटा भी सकते हैं परन्तु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत करने के पहले जिसे हटाया जा रहा है, उसे सूचना देनी आवश्यक है।

अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य (Functions and Powers of Speaker)

विधान सभा के अध्यक्ष के कार्य तथा शक्तियाँ निम्न लिखित हैं :–

(i) वह विधान सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है।

(ii) वह सदन में शांति, व्यवस्था व अनुशासन बनाये रखने का कार्य करता है।

(iii) वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में विचार विमर्श व वाद–विवाद का समय निश्चित करता है।

(iv) वह विधान सभा के सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को स्वीकार अथवा नियम विरूद्ध होने पर अस्वीकार करता है।

(v) विधान सभा अध्यक्ष द्वारा ही यह निर्णय किया जाता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं।

(vi) विधान सभा अध्यक्ष ही विधान सभा सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करता है एवं भाषणों के क्रम का भी निर्धारण करता है।

(vii) विधान सभा व राज्यपाल के मध्य सम्पर्क एवं सम्पूर्ण पत्र व्यवहार उसी के द्वारा किया जाता है।

(viii) अध्यक्ष को सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं है, परन्तु सदन में किसी प्रस्ताव में मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है।

(ix) वह सदन द्वारा पारित किये गये विधेयकों को प्रमाणित करता है।

(x) 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अध्यक्ष दल बदल पर उठे किसी प्रश्न पर निर्णय प्रदान करता है।

(xi) वह सदन के विशेषाधिकारों का भी रक्षक होता है।

(xii) वह सदन के नियमों की व्याख्या करता है।

राज्य विधान सभा की शक्तियाँ व कार्य
(Powers and Functions of State Legislative Assembly)

राज्य विधान सभा की शक्तियों को मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है :–

(i) विधायी या व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्तियाँ (Legislative Powers) :–

राज्य विधान मण्डल राज्यहित के सभी विषयों पर विधि निर्माण करती है। वह राज्य सूची के वर्तमान में 61 विषयों पर व समवर्ती सूची के वर्तमान में 52 विषयों पर भी कानून निर्माण कर सकती है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद व राज्य विधानमण्डल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है परन्तु समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद व राज्य विधान मण्डल दोनों द्वारा बनायी गयी विधि को लेकर विरोधाभास उत्पन्न हो जाये तो उस विषय पर संसद द्वारा निर्मित विधि ही मान्य होगी। यदि किसी राज्य में विधान मण्डल के दोनों (विधान परिषद् व विधान सभा) सदन है तो साधारण विधेयक दोनों सदनों में से पहले किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं, परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण विधेयक विधान सभा में ही प्रस्तावित किये जाते हैं।

विधान सभा द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद (यदि किसी राज्य में दूसरा सदन है तो) में जाता है। विधान परिषद् एक परामर्शदात्री या सलाहकारी निकाय है। वह विधेयक पर सलाह या संशोधनों सहित सुझाव दे सकती है, उसे कुछ समय तक विलम्बित कर सकती है, परन्तु अन्तिम शक्ति राज्य विधान सभा के पास ही निहित होती है। राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात् विधेयक अधिनियम का रूप ग्रहण कर लेता है। विधान मण्डल की विधि–निर्माण सम्बन्धी शक्तियॉ असीमित नहीं है। संविधान द्वारा उन पर कुछ सीमाएँ व प्रतिबन्ध भी लगाये गये हैं।

राज्य विधान मण्डल की विधि निर्माण की शक्तियों पर संविधान द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध व सीमाएँ :–

संविधान द्वारा राज्य विधान मण्डल की विधि निर्माण की शक्तियों पर कुछ सीमाएँ लगाई गई है, जैसे :–

(i) **आपातकाल की स्थिति में :** आपातकाल की घोषणा होने पर राज्यमें राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ऐसी स्थिति में संसद राज्यसूची के विषयों पर विधि निर्माण करती है अर्थात् विधान मण्डल की विधि निर्माण की शक्ति संसद के पास चली जाती है।

(ii) **राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने पर** अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्य सभा राज्य सूची के किसी भी विषय को दो तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने का प्रस्ताव पारित कर देती है उस स्थिति मेंराज्य सूची के उस विषय पर संसद द्वारा कानून निर्माण किया जाता है।

(iii) **कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति :** संविधान के अनुच्छेद 304 के अनुसार कुछ विधेयकों को विधान मण्डल में प्रस्तावित किये जाने से पूर्व उन पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। इनमें राज्यों के मध्य परस्पर व्यापार वाणिज्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आदि विषय सम्मिलित है।

(iv) **कुछ विधेयकों पर राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति :** विधान मण्डल मे कुछ विधेयकों को पेश करने से पूर्व राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है।

(v) **विधान मण्डल द्वारा पारित करने के पश्चात् राष्ट्रपति की स्वीकृति :** विधान सभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों,

जैसे किसी निजी सम्पत्ति का राज्य द्वारा अधिग्रहण, नदी–घाटी योजनाओं के पानी व बिजली का संग्रहण और वितरण आदि पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है।

(2) वित्तीय शक्ति (Financial Powers)

राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था होने के कारण विधान मण्डल का, मुख्यतया राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। विधानमण्डल की स्वीकृति के पश्चात् ही शासन द्वारा धन वसूलने व खर्च करने का कार्य किया जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र में विधान सभा की शक्तियाँ, विधान परिषद् की तुलना में अधिक है। यदि राज्य में विधान मण्डल के दो सदन है तो धन विधेयक सर्वप्रथम विधान सभा में पेश किया जाता है, विधान परिषद् में नहीं। विधान सभा बजट में प्रस्तावित व्यय में कमी करने हेतु प्रस्ताव रख सकती है, परन्तु व्यय को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं रख सकती है। जब धन विधेयक विधान सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो, उसे द्विसदनीय व्यवस्थापिका वाले राज्यों में, विधान परिषद् मे विचार हेतुं भेजा जाता है। विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अन्दर विधेयक को अपने सुझावों सहित विधान सभा को वापस भेजना होता है। सुझावों व सिफारिशों को मानना या न मानना विधान सभा की इच्छा पर निर्भर होता है। यदि विधान परिषद 14 दिन से अधिक धन विधेयक को अपने पास रोके रखती है तो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार धन विधेयक पर अन्तिम निर्णय विधान सभा का ही होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस का निर्णय भी विधान सभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। अनुदान की माँगों पर मतदान भी केवल विधान सभा में ही होता है।

(3) मंत्रि परिषद् पर नियंत्रण (Power to Control the Council of Ministers): संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भारत में भी राज्यों के अन्तर्गत केन्द्र की तरह संसदीय शासन के प्रारूप को अपनाया गया है। अतः राज्यों में मंत्रिपरिषद अर्थात् कार्यपालिका, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्य विधान मण्डल अर्थात विधान सभा राज्य कार्यपालिका अर्थात् मंत्रिपरिषद् पर निम्न प्रकार से नियंत्रण रखती है–

(i) **प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर :** विधान मण्डल अर्थात् विधान सभा के सदस्य राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों से उनके कार्यों व नीतियों के सम्बन्ध में प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) **आलोचना व निंदा प्रस्ताव द्वारा :** विधान मण्डल के सदस्य मंत्रियों के कार्यों व नीतियों की आलोचना व निंदा कर सकते हैं।

(iii) **काम रोको प्रस्ताव व स्थगन प्रस्ताव द्वारा :** विधान मण्डल के सदस्य कामरोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव लाकर मंत्रिमण्डल पर नियंत्रण बनाये रखते हैं।

(iv) **अविश्वास प्रस्ताव द्वारा :** विधान सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्रिमण्डल को पद त्याग करना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार केवल विधान सभा को प्राप्त है, विधान परिषद् को नहीं।

(v) विधान मण्डल के सत्र के दौरान मंत्रि–परिषद् के सदस्यों के द्वारा प्रशासन में किये जा रहे भ्रष्टाचार के मामलों को सदन में उजागर किया जा सकता है।

4. निर्वाचन सम्बन्धी शक्ति (Elective Power) :

विधान सभा के सदस्यों को निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियाँ प्राप्त है विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मण्डल के सदस्य होते हैं। वे संसद के निर्वाचित सदस्यों के साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।

राज्य विधान सभा के सदस्य राज्य में विधान परिषद् होने पर उसके एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इसके अलावा वे अपनों में से ही एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी करते हैं एवं संघीय संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं।

5. संविधान संशोधन की शक्ति (Power to Amend the Constitution):

संविधान संशोधन का कार्य संसद द्वारा किया जाता है परन्तु संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें संसद अकेले संशोधित नहीं कर सकती। इन अनुच्छेदों में संशोधन हेतु संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन करने के पश्चात् कम से कम आधे राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। राज्य विधान मण्डलों को संविधान संशोधनों को प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है।

6. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाने की शक्ति (Power of dismissing Speaker and Deputy Speaker) :

राज्य विधान सभा अपने समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पदच्युत कर

सकती है। लेकिन ऐसे प्रस्ताव को पेश करने से पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिसकों हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाना है, उसे 14 दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए।

विधान परिषद् (Legislative Council) :

राज्य में विधान मण्डल के उच्च सदन (द्वितीय सदन) को विधान परिषद् कहा जाता है। किसी राज्य में विधान परिषद् की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद, 169 के तहत की जा सकती है। इस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद् का सृजन करने या समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। ऐसा कानून संसद तभी बना सकती है जब विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के दो–तिहाई बहुमत से विधानपरिषद् के सृजन या समाप्ति का प्रस्ताव पारित कर दे।

वर्तमान समय में भारत में पाँच राज्यों में विधान परिषद् की स्थापना की गयी है, जो कि बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं जम्मु एवं कश्मीर हैं। मध्य– प्रदेश में विधान परिषद् की स्थापना की स्वीकृति हो गई थी परन्तु उसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है।

राज्य विधान परिषद् का गठन एवं संरचना
(Formation and Structure of Vidhan Parishad) :

संविधान के अनुच्छेद 171(1) के अनुसार राज्य विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या विधान सभा की सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी किन्तु वह संख्या कम से कम 40 अवश्य होगी। जम्मू कश्मीर इसका अपवाद है क्योंकि वहाँ की विधान परिषद् में सदस्यों की संख्या 36 हैं।

विधान परिषद् के सदस्यों का चुनाव : विधान परिषद् में दो प्रकार के सदस्य होते हैं :

(i) निर्वाचित सदस्य (ii) मनोनीत सदस्य।

निर्वाचित सदस्य विधान परिषद् की कुल सदस्य संख्या के 5/6 सदस्य होते हैं जबकि मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग होती है।

विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाता है। अर्थात् ये सदस्य जनता द्वारा न चुने जाकर एक निर्वाचक मण्डल के द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानुसार विधान परिषद् के निर्वाचक मण्डल के अन्तर्गत निम्न संस्थाओं व व्यक्तियों को सम्मलित किया जाता है।

(i) विधान परिषद् की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो कि विधान सभा के सदस्य नहीं हो।

(ii) राज्य विधान परिषद् के एक तिहाई सदस्य उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला परिषदों तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों, जिन्हें संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डलों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं।

(iii) विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं तथा उससे उच्च स्तर की शिक्षण संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष के पुराने शिक्षकों के निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं।

(iv) विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय के कम से कम तीन वर्ष पुराने स्नातकों या उनके समान योग्यता रखने वाले उस राज्य के निवासियों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं।

(v) विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। राज्यपाल विधान परिषद् में राज्य के उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखते है।

विधान परिषद् की सदस्यता के लिए योग्यता :
(Qualification of the Member of Vidhan Parishad)

विधान परिषद् का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है –

(i) वह भारत का नागरिक हो।

(ii) वह कम से कम तीस (30) वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है।

(iii) वह संसद द्वारा निर्धारित की गयी योग्यता धारित करता हो।

(iv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के द्वारा राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने हेतु व्यक्ति को उस राज्य के किसी विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

विधान परिषद् की सदस्यता सम्बन्धी अयोग्यता :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 के अनुसार विधान परिषद की सदस्यता के लिए निम्नलिखित व्यक्ति अयोग्य होंगे–

(i) वह भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर विद्यमान हो।

(ii) वह व्यक्ति जो कि सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो।

(iii) जो भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर ली हो।

(iv) जो दिवालिया घोषित है।

(v) संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया हो।

विधान परिषद् की अवधि (Terms) :

विधान परिषद् एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे विधानसभा की तरह भंग नहीं किया जा सकता है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2वर्ष बाद अपना स्थान रिक्त कर देते हैं एवं उनके स्थान पर नये सदस्य निर्वाचित होते रहते हैं। परिषद का कोई सदस्य सदन की बिना अनुमति के लगातार 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।

विधान परिषद् का अधिवेशन व गणपूर्ति (Session and quorum of Vidhan Parishad) :

विधान परिषद का अधिवेशन राज्यपाल आहूत करता है तथा वही उसका सत्रावसान करता है। अनुच्छेद 174(1) के अनुसार विधान परिषद के एक वर्ष में दो अधिवेशन बुलाना अनिवार्य है एवं दोनों में 6 माह से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए।

विधान परिषद की गणपूर्ति हेतु उसके सदस्यों में से कम से कम 10 प्रतिशत सदस्यों का सदन में उपस्थित होना अनिवार्य है, किन्तु यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए।

विधान परिषद् के पदाधिकारी (Presiding Officers of the Vidhan Parishad):–

विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से सदन के कार्य संचालन के लिए सभापति तथा उपसभापति का चुनाव करते हैं। सभापति व उपसभापति तब तक अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक वे सदन के सदस्य रहते हैं। इससे पहले वे स्वयं त्याग पत्र दे सकते है। इसके अलावा सदन के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रस्ताव पेश करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। सभापति सदन की बैठकों की अध्यक्षता एवं कार्यवाहियों का संचालन करता है, वह सदन में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखता है। उसे सदन में किसी विषय पर मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार भी प्राप्त होता है। इस तरह इनके कार्य व शक्तियॉ विधान सभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के समान ही होती है।

विधान परिषद् के अधिकार तथा शक्तियाँ
(Powers and Functions of Legislative Council) :

विधान परिषद् के अधिकार व शक्तियों को निम्न लिखित बिन्दुओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है–

(i) विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य (Legislative Functions):

विधान परिषद् को विधानसभा की तरह राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार है। अवित्तीय अर्थात साधारण विधेयक राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं। किन्तु कानूनी रूप लेने के लिए दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है।

विधान सभा द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद् में जाता है। विधान परिषद् द्वारा पारित किये जाने पर राज्यपाल की स्वीकृति से विधेयक अधिनियम का रूप ग्रहण कर लेता है। विधान परिषद् विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को सुझावों व संशोधनों सहित लौटा दे या उसे तीन महीनों से अधिक समय तक अपने पास रोके रखे ऐसी स्थिति में विधेयक पुनः विधानसभा में जाता है। विधान सभा द्वारा पुनः विधेयक को पारित करने पर वह विधान परिषद के पास दूसरी बार आता है। इस बार भी यदि परिषद उसे पास नहीं करती है उसे संशोधनों सहित लौटा देती है या उसे एक माह तक रोके रखती

है (किसी भी स्थिति में) वह विधेयक दोनों सदनो द्वारा पारित मानकर राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है। केन्द्र की तरह दोनों सदनों में साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध होने पर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान राज्य व्यवस्थापिका में नहीं है।

(2) वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers):

संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन राज्य सभा की तरह राज्य विधान परिषद के पास भी वित्तीय क्षेत्र में नाममात्र की शक्तियाँ है। धन विधेयक सर्वप्रथम विधान सभा में पेश किया जाता है, विधान परिषद में नहीं। विधान सभा द्वारा पारित होने के पश्चात् ही धन विधेयक विधान परिषद में जाता है। इस विषय में विधान परिषद के पास प्रमुख विकल्प हैं :

(i) उसे स्वीकृति प्रदान कर दे। (ii) उसे सुझावों व संशोधनों सहित लौटा दे। (iii) विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रोके रखे। स्वीकृत करने के पश्चात् विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति हेतु चला जाता है। परन्तु सुझावों व संशोधनों सहित लौटाने पर उन्हें मानना या न मानना विधान सभा की इच्छा पर निर्भर है और यदि वह इसे 14 दिन से अधिक रोके रखती है तो वह विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। इस तरह विधान परिषद को धन विधेयक को केवल मात्र 14 दिन विलम्बित करने का अधिकार व शक्ति प्राप्त है।

(3) कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्तियाँ (Control over Executive):

राज्य में कार्यपालिका अर्थात् मंत्रि–परिषद् निम्न सदन (विधान सभा) के प्रति ही उत्तरदायी होती है, विधान परिषद के प्रति नहीं। अतः विधान परिषद को मंत्रिमण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके पश्चात् भी विधान परिषद मंत्रियों से उनके कार्यों व नीतियों के सम्बन्ध में प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछती है। उनके कार्यों एवं व्यवहार की आलोचना भी कर सकती है। कामरोको प्रस्ताव आदि के माध्यम से वह मंत्री मण्डल पर नियंत्रण बनाये रखती है।

विधानसभा व विधान परिषद् के मध्य परस्पर सम्बन्धों का तुलनात्मक विवेचन :

विधान सभा की तुलना में विधान परिषद एक गौण सदन हैं। इसकी शक्तियाँ अपेक्षाकृत कम हैं। राज्य विधान मण्डल के इन दोनों सदनों की शक्तियों का तुलनात्मक विवेचन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है :–

(i) साधारण विधेयक के सम्बन्ध में (Relating Ordinary Legislature)

साधारण विधेयक राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों में से पहले किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं। कानूनी रूप ग्रहण करने हेतु दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है परन्तु राज्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को यदि (i) विधान परिषद अस्वीकृत कर दें (ii) विधान परिषद उन्हें संशोधनों व सुझावों सहित लौटा दें या (iii) विधान परिषद् 3 माह तक उस विधेयक को पारित न करके अपने पास रोके रखे। इस प्रकार की स्थिति में सुझावों व संशोधनों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना विधान सभा की इच्छा पर निर्भर करता हैं। परन्तु विधान सभा उस विधेयक को पुनः पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है फिर भी विधान परिषद उसे अस्वीकृत कर दे या इस प्रकार के संशोधन व सुझाव प्रस्तुत करे जो कि विधान सभा को अस्वीकार्य हो या परिषद उसे एक माह तक बिना पारित किये हुये अपने पास रोके रखे तो विधयेक विधानसभा द्वारा पारित रूप में ही दोनों सदनों द्वारा पारित मानकर राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भिजवा दिया जाता है। इस तरह विधान परिषद साधारण विधेयक को कुछ माह तक विलम्ब कर सकती है। अंतिम शक्ति विधान सभा में ही निहित है।

(2) धन विधेयक के सम्बन्ध में (Relating Financial Legistature):

धन विधेयक सर्वप्रथम विधान सभा में ही पेश किया जाता है, विधान परिषद में नहीं। यदि किसी विधेयक पर यह प्रश्न उत्पन्न हो जाय कि वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इस विषय में निर्णय करने का अधिकार भी विधान सभा अध्यक्ष के पास होता हैं विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद को 14 दिन के अन्दर सुझावों या संशोधनों सहित लौटाना होता है। सुझावों को मानना या न मानना भी विधान सभा पर निर्भर करता है। और यदि 14 दिन के अन्दर विधान परिषद विधेयक को नहीं लौटाती है तो 14 दिन पश्चात् विधेयक स्वतः ही दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। अनुदान सम्बन्धी माँगों पर मतदान भी विधान सभा में ही होता है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वित्तीय क्षेत्र में विधान सभा ही विधान परिषद की तुलना में अधिक शक्तिशाली है।

(3) कार्यपालिका पर नियंत्रण (Control over Executive) :

केन्द्र की तरह राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था के प्रारूप को अपनाया गया है, इस कारण कार्यपालिका (मंत्रीमण्डल) विधान सभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, विधान परिषद् के प्रति नहीं। मंत्रीमण्डल के सदस्यों से दोनों ही सदनों के सदस्य उनके कार्यों व नीतियों के सम्बन्ध में प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर, आलोचना व निंदा द्वारा, कामरोकों व स्थगन प्रस्ताव द्वारा नियंत्रण बनाये रखते है। परन्तु अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रीमण्डल को पद से हटाने का अधिकार केवल विधान सभा के पास ही है, विधान परिषद् के पास नहीं।

(4) निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियाँ (Elective Powers):

राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मण्डल के अन्तर्गत संसद के निर्वाचित सदस्यों के साथ–साथ राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्य विधान परिषद् के सदस्य नहीं। इसके अलावा संसद के उच्च सदन राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन भी विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता हैं, विधान परिषद् के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं।

इस प्रकार विधान सभा व विधान परिषद की शक्तियों के तुलनात्मक विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विधान सभा विधान परिषद् की तुलना में अधिक शक्ति सम्पन्न है। राज्य विधान मण्डल में विधान परिषद् का स्थान गौण है। विधान सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोकप्रिय सदन हैं, इस कारण वह प्रमुख व अधिक शक्तिशाली सदन है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- विधान सभा एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि सदन है। विधान सभा में न्यूनतम 60 तथा अधिकतम 500 सदस्य हो सकते है।
- राजस्थान में विधान सभा की कुल संख्या 200 है। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय है।
- सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति व वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है।
- राज्य विधान सभा के सदस्यों के लिये आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह वे सभी योग्यताएँ रखता हो जो संसद समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित करे। वह भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। वह विकृत मस्तिष्क, पागल व दिवालिया न हो।
- विधान सभा एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष है।
- विधान सभा का अधिवेशन वर्ष में दो बार बुलाना अनिवार्य है और दोनों में 6 माह से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिये।
- विधान सभा के दो मुख्य पदाधिकारी होते हैं : अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इन दोनों का निर्वाचन विधान सभा के सदस्यों में से किया जाता है। विधान सभा मुख्य रूप में विधायी, वित्तीय, मंत्रिपरिषद् पर नियंत्रण, निर्वाचन संबंधी संविधान में संशोधन, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी कार्य करती है।
- राज्य में विधान मण्डल के उच्च सदन (द्वितीय सदन) को विधान परिषद् कहा जाता है। वर्तमान में भारत में पाँच राज्यों में (बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू–कश्मीर) विधान परिषद् है।
- विधान परिषद् का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इस परिषद् का अधिवेशन राज्यपाल बुलाता है। वर्ष में दो बार अधिवेशन बुलाना आवश्यक और प्रत्येक अधिवेशन की अवधि का अन्तराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिये।
- विधान परिषद् अपने अधिकारों के तहत विधि निर्माण का कार्य, वित्तीय शक्तियाँ व कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

(1) राज्य में विधान मण्डल के उच्च सदन को कहा जाता है :

(अ) राज्यसभा (ब) विधान सभा

(स) विधान परिषद् (द) लोकसभा ( )

(2) कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्णय निम्नांकित में से जो करता है, वह है :

(अ) मुख्यमंत्री (ब) विधान परिषद् का सभापति

(स) विधान सभा अध्यक्ष (द) राज्यपाल ( )

(3) संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधान सभा में सदस्यों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या हो सकती है, वह है :

(अ) 60 – 500 (ब) 50 – 400

(स) 70 – 600 (द) 75 – 550 ( )

(4) विधान परिषद के सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं :

(अ) कुल सदस्यों का 1/3 भाग

(ब) कुल सदस्यों का 1/2 भाग

(स) कुल सदस्यों का 1/6 भाग

(द) कुल सदस्यों का 1/4 भाग ( )

(5) निम्न में से जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वह है :

(अ) हरियाणा (ब) उत्तरप्रदेश

(स) महाराष्ट्र (द) बिहार ( )

(6) किसी भारतीय नागरिक को विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु पूर्ण करना आवश्यक है ?

(अ) 18 वर्ष (ब) 21 वर्ष

(स) 25 वर्ष (द) 30 वर्ष ( )

(7) भारत में वयस्क मताधिकार की आयु सीमा है :

(अ) 21 वर्ष (ब) 18 वर्ष

(स) 25 वर्ष (द) 30 वर्ष ( )

(8) विधान सभा का सदस्य बनने हेतु किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है :

(अ) 30 वर्ष (ब) 25 वर्ष

(स) 21 वर्ष (द) 35 वर्ष ( )

(9) द्वि–सदनीय व्यवस्थापिका वाले राज्यों में मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है :

(अ) राज्यपाल के प्रति (ब) मुख्यमंत्री के प्रति

(स) विधान सभा के प्रति (द) विधान परिषद के प्रति ( )

(10) राष्ट्रपति के निर्वाचन में व्यवस्थापिका का जो अंग भाग नहीं लेता है, वह है

(अ) लोकसभा (ब) राज्यसभा

(स) विधान सभा (द) विधान परिषद् ( )

अति–लघुत्तरात्मक प्रश्न

(1) देश के सभी भागो में जनसंख्या की वृद्धि होते हुये भी विधान सभा की सदस्यसंख्या में कब तक वृद्धि नहीं की जायेगी?

(2) वर्तमान समय में भारत के किन–किन राज्यों में द्विसंदनात्मक व्यवस्थापिका है ?

(3) विधान सभा और विधान परिषद के कार्यकाल सम्बन्धी एक प्रमुख अन्तर बताइये ?

(4) विधान परिषद में स्थानीय निकायों द्वारा कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है ?

(5) द्विसदनीय व्यवस्थापिका वाले राज्यों में राज्य विधान मण्डल के प्रमुख अंग कौन–कौन से हैं ?

(6) राजस्थान राज्य की विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है ?

(7) राज्य विधान सभा का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिन से अधिक सदन में अनुपस्थित नहीं रह सकता है ?

(8) राज्य व्यवस्थापिका किन–किन सूचियों के विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है ?

(9) राज्य में धन विधेयक किसकी पूर्व स्वीकृति से व पहले किस सदन में पेश किया जाता है ?

लघुत्तरात्मक प्रश्न

(1) विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है ?

(2) विधान सभा व विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता व कार्यकाल की भिन्नता के प्रमुख बिन्दु बताइये ?

(3) विधान सभा अध्यक्ष के 5 कार्य बताइये ?

(4) राज्य विधान मण्डल की विधि निर्माण सम्बन्धी शक्तियॉ असीमित नहीं है उन पर संविधान द्वारा कुछ प्रतिबन्ध व सीमाएँ लगायी गयी है। उन सीमाओं के विषय में संक्षेप में बताइये ?

(5) विधान सभा द्वारा राज्य मंत्रि परिषद् (कार्यपालिका) पर नियंत्रण किन–किन माध्यमों से रखा जाता है। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए ?

(6) विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु क्या–क्या योग्यताएँ होनी आवश्यक है?

(7) धन विधेयक किसे कहते है ? इसके अन्तर्गत कौन–कौन से विषय आते है?

(8) विधान परिषद् एक विलम्बकारी सदन है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए ?

(9) विधानसभा व विधान परिषद् के मध्य संबंधों का तुलनात्मक विवेचन किजिये?

निबन्धात्मक प्रश्न

(1) राज्य विधान सभाओं का गठन किस प्रकार होता है ? उसकी शक्तियाँ एवं कार्य बताइये?

(2) विधान परिषद के गठन एवं उसकी शक्तियों व कार्यों की विवेचना कीजिए?

(3) राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की शक्तियों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए ?

(4) राज्य विधान मण्डल की शक्तियों व कार्यों का उल्लेख कीजिए ?

उत्तरमाला

1. (स) 2. (स) 3. (अ) 4. (स) 5. (अ) 6. (द) 7. (ब) 8. (ब) 9. (स) 10. (द)